ऑन लाईन नं. RCMS 2022/233

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 31/2022

1. आदराम पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार राजस्व, मिर्जेवाला।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार मिर्जेवाला बअनुवानी सरकार बनाम संजय , पत्रावली संख्या 02/2022 आदेश दिनांक 19.09.2022 व 30.09.2022 जिसकी रूह से अपीलार्थी पर तावान कायम कर बेदखली का आदेश दिया गया, को मन्सूखी बाबत।

उपस्थित :

1.श्री मोहन लाल माहर अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक :– 11.11.2025

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2022 व दिनांक 30.09.2022 विधि विरूद्व, प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत एवं बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अपील है।
2. यह कि प्रश्नगत् कृषि भूमि वाके चक 8 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 45 की 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से खातेदारी थी, जिसको सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई थी, जिसके आवंटन का प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के प्रस्तुत किया जा चुका है जो वर्तमान में आवंटन अधिकारी के समक्ष लम्बित है।
3. यह कि हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.09.2022 को रेस्पोडेन्ट को प्रेषित कर तावान की कार्यवाही हेतु रिर्पोट प्रस्तुत की , जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2022 को सीधे ही खड़ी फसल को कुर्क कर निलामी करने का

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश दिया जबकि विधि अनुसार फसल को कुर्क करने से पूर्व फसल को हटाये जाने का निर्देश दिया जाना चाहिये, परन्तु किसी प्रकार की कोई समुचित कार्यवाही करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

4. यह कि अपीलार्थी का आवंटन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, इसलिये अपीलार्थी किसी भी प्रकार से अतिक्रमी नहीं है, बल्कि साधिकार मौका पर काबिज काश्त है, जिसे अतिक्रमी की हैसियत से बेदखल किया जाना कतई न्यायोचित नहीं होगा।
5. यह कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से कोई सूचना पत्र अथवा नोटिस की तामील विधिवत् रूप से नहीं की गई बल्कि एक पक्षीय कार्यवाही कर द्वेषता पूर्वक कार्यवाही कर, बेदखली करने पर उतारू है।
6. यह कि अपील श्रीमान जी के सुनवाई योग्य, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2022 व दिनांक 30.09.2022 को निरस्त किया जावें, तो जनवा की मेहरबानी होगी।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

अपील पर उप–तहसीलदार मिर्जेवाला से रिपोर्ट तलब की गई। उप तहसीलदार मिर्जेवाला ने अपनी रिपोर्ट कमांक 44 दिनांक 18.02.2025 में अंकित किया कि चक 8 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 45 , किला नम्बर 1,2,9,10 में 1.012 हैक्टर नहरी कृषि भूमि जमाबन्दी में रकबा राज (सिवाय चक) दर्ज है। उक्त भूमि पर आदराम बनाम स्टेट अपील प्रकरण संख्या 31/2022 माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है। स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण उक्त रकबा राज भूमि 1.012 हैक्टर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हो पा रही है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि राज्यहित को ध्यान में रखते हुए स्थगन आदेश निरस्त करने की कार्यवाही फरमावें ताकि फसल रबी–2081 में धारा 22 की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि प्रश्नगत् कृषि भूमि वाके चक 8 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 45 की 1.012 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से खातेदारी थी, जिसको सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित की गई है। उक्त विवादित कृषि भूमि से सम्बन्धित आवंटन का प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.09.2022 को तावान की कार्यवाही हेतु रिर्पोट प्रस्तुत की , जिस पर उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा दिनांक 19.09.2022 को

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

सीधे ही खड़ी फसल को कुर्क कर निलामी करने का आदेश दिया जबकि विधि अनुसार फसल को कुर्क करने से पूर्व फसल को हटाये जाने का निर्देश दिया जाना चाहिये। अपीलार्थी का आवंटन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित है, इसलिये अपीलार्थी किसी भी प्रकार से अतिकर्मी नहीं है, बल्कि साधिकार मौका पर काबिज काश्त है, जिसे अतिकर्मी की हैसियत से बेदखल किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से कोई सूचना पत्र अथवा नोटिस की तामील विधिवत् रूप से नहीं की गई । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.09.2022 व दिनांक 30.09.2022 को निरस्त किया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस निम्न नजीरे पेश की हैः—

1. आर.आर.डी. 1994 पेज—559

(b) Section 91-Any crop standing or any building or other construction erected or anything deposted on trespassed land can be forfeiated only if it is not removed with in a reasonable time allowed for this purpose-penalty extending to fifty times the annual rent or assessment (but not premium lease rent) can be imposed.

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से फसल काश्त की गई है जिसके लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान की कार्यवाही की गई। तावान राशि जमा करवाकर अपीलार्थी खड़ी फसल उठाने के लिए सक्षम है।

2. आर.आर.डी. 1994 पेज—200

Rajasthan Land Revenue Act, Section 9-Patently erroneous order of Tehsildar regarding attachment of standing crop in proceedings u/s 91 L.R.Act without giving the alleged trespasser a reasonable opportunity of hearing sec. by Board in exercise of their power's u/s 9 (Paras3-4)

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड में जारी नोटिस जो स्वयं अपीलार्थी पर तामील होना पाया गया है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार मिर्जेवाला का निर्णय दिनांक 30.09.2022 सही है। जहां तक अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुना नहीं गया, सरासर गलत है क्योंकि अपीलार्थी स्वयं को नोटिस की तामील स्वयं पर होने के बावजूद वह उपस्थित नहीं आया है। जब तावान एवं जुर्माना की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, मिर्जेवाला की जा चुकी है तो अपील चलाने का अब क्या औचित्य है। वर्तमान में भूमि राजकीय है। उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाधीन आदेश उप तहसील मिर्जेवाला दिनांक 30.09.2022 द्वारा चक 8 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1,2,9,10 की कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी रकबा राज राजस्व रिकार्ड दर्ज भूमि पर आद राम पुत्र साहब राम जाति जाट निवासी मिर्जेवाला ने फसल खरीफ सम्वत् 2079 में जिन्स नरमा की नाजायज काश्त की है कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलार्थी की सुनवाई का नोटिस जारी कर रकबा राज नहरी भूमि पर खरीफ सम्वत् 2079 में जिन्स नरमा की नाजायज काश्त करने पर अतिक्रमी घोषित किया है, जो विधि सम्मत है। इस आदेश के जरिये कुर्क शुदा फसल की नीलामी की कार्यवाही को भी प्रस्तुत फर्द्व नीलामी दिनांक 28.09.2022 को अंतिम कर दिया गया है। उपरोक्त विवेचन से उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2022 विधिसम्मत है और इसमें दखल देने का कोई कारण या आधार नहीं है। अतः उप तहसीलदार मिर्जेवाला का आदेश दिनांक 30.09.2022 बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ उप तहसीलदार मिर्जेवाला को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner